FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0026 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 31/01/2026 15:31 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 28/11/2025 **Date To (दिनांक तक):** 02/12/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:00 बजे **Time To (समय तक):** 11:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 31/01/2026 **Time (समय):** 12:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 31/01/2026 15:31:01 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 60 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** POLICE THANA MAHUA JILA DAUSA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** HITESH KUMAR JOSHI

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SHIVDAYAL JOSHI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1981 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	WARD NO 04, MANDAWAR, MANDAWAR(DAUSA), DAUSA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	WARD NO 04, MANDAWAR, MANDAWAR(DAUSA), DAUSA, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MUKESH KUMAR		पिता:MADHUSUDAN SINGH	1. GRAM POST PAITHANA,BHUSAWAR,BHUSAWAR,BHARATPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		8,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 8,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

हालात प्रकरण इस प्रकार से है कि दिनांक 28.11.2025 को समय करीब 03ः00 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस रविन्द्र सिंह को परिवादी श्री हितेश कुमार जोशी पुत्र श्री शिवदयाल जोशी जाति ब्राहम्ण उम्र 45 साल निवासी वार्ड नं0 04 मण्डावर पुलिस थाना मण्डावर जिला दौसा ने कार्यालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र मय मुकदमा नं0 444/2025 पुलिस थाना महुआ की एफआईआर की फोटोप्रति स्वहस्ताक्षरित दो पेज की व स्वंय का आधार कार्ड की स्वहस्ताक्षरित फोटोप्रति के इस आशय का पेश किया कि मै हितेश जोशी पुत्र स्व0 श्री शिवदयाल जोशी, निवासी मण्डावर जिला दौसा का रहने वाला हूॅ। मेरे खिलाफ महुआ पुलिस थाने पर एक झूठा मुकदमा नं0 444/2025 दर्ज है जिसकी जॉच महुआ थाने के ASI श्री मुकेश कुमार कर रहे है। श्री मुकेश कुमार ASI ने मुझे कई बार थाने पर अनावश्यक रूप से बुलाकर प्रताडित किया। श्री मुकेश कुमार ASI द्वारा मुझे दिनांक 27.11.2025 को भी बुलाकर खुब धमकाया और गिरफ्तार करने की धमकी दी तो मैने उनसे निवेदन किया कि मेरे खिलाफ यह झूठा मुकदमा है आपको इसमें अब तक FR लगा देनी चाहिये थी। तब उन्होने मुझसे कहा कि FR लगाने के तुझे मेरे को 10,000/- रू0 देने पडेगें इस पर मैने उनसे आईन्दा पैसे की व्यवस्था करके देने की कहकर थाने से आ गया। मै श्री मुकेश ASI को 10,000/- रू0 रिश्वत के नही देना चाहता हॅु क्योकिं मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमा झूठा है। मेरा श्री मुकेश ASI से किसी प्रकार का कोई लेन देन नही है और न ही कोई रंजिश है। अतः मुझसे रिश्वत मांगने वाले महुआ थाने के ASI श्री मुकेश कुमार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। उक्त रिपोर्ट के बारे में परिवादी श्री हितेश जोशी से पूछने पर बताया कि यह मेरी स्वंय द्वारा लिखित है। श्री मुकेश कुमार एएसआई से मेरी कोई रंजिश नही है और ना ही कोई उधार लेन देन बाकी है उपरोक्त लिखित प्रार्थना पत्र से मामला रिश्वत मांग का पाये जाने पर परिवादी श्री हितेश जोशी को कार्यालय का डीवीआर दिखाकर उसको संचालन की विधि समझाई गई। कार्यालय में उपस्थित श्री मुकेश कानि0 101 को बुलाकर परिवादी श्री हितेश जोशी से परिचय करवाया गया। तथा डीवीआर में नया मैमोरी कार्ड सैनडिस्क अल्ट्रा 16 जीबी लगाकर परिवादी श्री हितेश जोशी को आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने की समझाईस की जाकर डीवीआर जरिये फर्द श्री मुकेश कुमार कानि0 101 को सुपुर्द कर मांग सत्यापन हेतु परिवादी श्री हितेश जोशी व श्री मुकेश चन्द कानि0 101 को मुनासिब हिदायत कर पुलिस थाना महुआ के लिये रवाना किया गया। इसके पश्चात् दिनांक 29.11.2025 समय 3.30 पी.एम. पर श्री मुकेश चन्द कानि. नं. 101 दिनांक 28.11.2025 का रवानाशुदा वापस कार्यालय में मेरे समक्ष उपस्थित आया और डिविआर मय मैमोरी कार्ड के सुपूर्द कर बताया कि मै कार्यालय से दिनांक 28.11.2025 को 3.30 पीएम पर परिवादी के साथ रवाना होकर दौसा बस स्टैण्ड पर पहुचा तो परिवादी ने गोपनीय रूप से मालूम कर बताया कि श्री मुकेश कुमार एएसआई अभी महुआ थाने पर नही है। अतः श्री मुकेश कुमार एएसआई कल दिनांक 29.11.2025 को ही थाने पर मिलेगा तो परिवादी ने मुझे कहा कि मै उसके पास दिनांक 29.11.2025 को समय 11.00 एएम पर महुआ थाने के पास मिलने का कहा जिस पर मन कानि. दौसा ही रूक गया था और परिवादी को रवाना कर दिया था। फिर मै दिनांक 29.11.2025 को दौसा से रवाना होकर 11.00 एएम पर पुलिस थाना महुआ के पास पहुंचा जहा पर पूर्व हिदायतानुसार परिवादी श्री हितेश जोशी मौजूद मिला और उसने बताया कि श्री मुकेश एएसआई अभी थाने के अन्दर ही है मै अब उनके पास जाकर अपने मुकदमें के संबंध में वार्ता कर रिश्वत मांग सत्यापन करवा देता हुं। इस पर मन् कानि. ने डिविआर मय मैमोरी कार्ड के चालू कर अपनी आवाज भरकर परिवादी हितेश जोशी को सुपुर्द कर हिदायत मुनासिब कर रवाना कर दिया और मन कानि. वही थाने के पास मुकीम हो गया। परिवादी हितेश जोशी थाने के अन्दर जाकर करीब बीस मिनट बाद थाने से बाहर मेरे पास आ गया और डिविआर मय मैमोरी कार्ड के मुझे सुपुर्द कर बताया कि वह थाने में जाकर श्री मुकेश एएसआई से मिला और अपने मुकदमे के संबंध में रिश्वत मागने के बारे में वार्ता की तो श्री मुकेश एएसआई ने रिश्वत राशि के बारे मे हाथ से ईशारा करके बताया था और सात हजार रूपये लेने पर सहमत हुआ। डिविआर को मेने बंद करके अपने पास रख लिया। इस पर मैने जरीये दुरभाष आपको हालात निवेदन किये थे और आपके हिदायतानुसार ही परिवादी को वही छोडकर वहा से रवाना होकर हाजिर कार्यालय आया हुं। डिविआर को मेरे द्वारा कार्यालय के लेपटॉप में लगाकर चालू कर उसमें रिकॉर्ड आवाज को सुना गया तो आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता स्पष्ट रूप से होना नही पाया गया। डिविआर मय मैमोरी कार्ड को आलमारी में सुरक्षित रखा गया। परिवादी श्री हितेश जोशी को जरीये दुरभाष हिदायत मुनासिब की गई थी। इसके बाद दिनांक 01.12.2025 समय

3.00 पी.एम. पर पूर्व हिदायतानुसार परिवादी श्री हितेश जोशी कार्यालय में मन् उप अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आया और पुछने पर दिनांक 29.11.2025 को करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के बारे में श्री मुकेश चन्द कानि. द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद की। परिवादी श्री हितेश जोशी को पुनः रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करवाने हेतु हिदायत की गई जिस पर परिवादी श्री हितेश जोशी ने कहा कि आपके कानि. श्री मुकेश चन्द को कल दिनांक 02.12.2025 को 9.00 एएम पर महुआ थाने के पास भिजवा देना मै उन्हे वही मिल जाउंगा परिवादी को मुनासिब हिदायत कर कार्यालय से रूखसत किया गया। इसके बाद दिनांक 02.12.2025 समय 07ः00 एएम मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास आलमारी में सुरक्षित रखे गये डीवीआर मय मैमोरी कार्ड को आलमारी से निकालकर डीवीआर में से दिनांक 29.11.2025 को रिकॉर्ड की गई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का मैमोरी कार्ड निकालकर उसे अपने पास आलमारी में सुरक्षित रखा। डीवीआर में नया मैमोरी कार्ड सैनडिस्क 32 जीबी लगाकर उसे खाली होना सुनिश्चित कर डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन करवाने हेतु श्री मुकेश चन्द कानि0 101 को सुपुर्द कर हिदायत मुनासिब कर कस्बा महुआ रवाना किया गया। समय 11ः00 एएम पर श्री मुकेश चन्द कानि. नं. 101 कार्यालय से रवानाशुदा बाद राजकार्य वापस कार्यालय में मुझ पुलिस उप अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आया और डिविआर मय मैमोरी कार्ड के सुपूर्द कर बताया कि मै कार्यालय से रवाना होकर महुआ पुलिस थाने के पास पहुॅचा। जहॉ पर पूर्व हिदायतानुसार परिवादी श्री हितेश जोशी मौजूद मिला जिसको मैने समझाईश कर डीवीआर मय मैमोरी कार्ड चालू कर सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु आरोपी के पास पुलिस थाना महुआ के अन्दर भेजा एवं मै स्वंय वही थाने के पास मुकीम रहा। करीब आधा घण्टे बाद परिवादी पुलिस थाना महुआ से बाहर निकलकर मेरे पास आ गया और डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के मुझे सुपुर्द कर दिया जिसे मैने बन्द करके अपने पास सुरक्षित रख लिया और बताया कि वह थाने में गया तो शुरू में तो श्री मुकेश एएसआई अपने कमरे मे नही मिले जिनको मैने ढुढकर अपने मोबाइल नं0 से श्री मुकेश एएसआई के मोबाइल नं0 पर कॉल किया तो उन्होने थोडी देर में अपने कमरे में आने को कही तो वह उनके कमरे में ही रूक गया। और फिर वही पर श्री मुकेश एएसआई आ गये जिनसे उसने अपने मुकदमें को खत्म करने के बारें मे बातचीत की तो श्री मुकेश एएसआई उससे 8000 रूपये रिश्वत के लेने पर सहमत हो गये है उसने उक्त सभी वार्तायें डीवीआर में रिकॉर्ड कर ली और बाद में थाने से बाहर आकर डीवीआर आपको सुपुर्द कर दिया। इसके बाद मौके से ही मैने जरिये दुरभाष आपको हालात निवेदन किये थे और आपके निर्देशानुसार ही परिवादी श्री हितेश जोशी को महुआ छोडकर वहॉ से रवाना होकर आपके समक्ष कार्यालय में उपस्थित आया हुॅ। मन् पुलिस उप अधीक्षक ने डीवीआर को चलाकर सुना तो आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। डीवीआर में से मैमोरी कार्ड को निकालकर सुरक्षित रूप से आलमारी में रखा गया। डीवीआर को भी आलमारी में रखा गया। इसके पश्चात् दिनांक 04.12.2025 समय 01ः00 पीएम पर पूर्व हिदातानुसार परिवादी श्री हितेश जोशी कार्यालय में मन् उप अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आया और दिनांक 02.12.2025 को आरोपी श्री मुकेश कुमार एएसआई पुलिस थाना महुआ के साथ की गई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के बारे में मुकेश चन्द कानि 101 द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद की। श्री हितेश जोशी को कार्यालय में बैठाया गया। समय 01ः15 पीएम पर हस्वतलविदा जिला कोषागार दौसा से दो स्वतंत्र गवाह श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री प्रभुलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 59 साल निवासी 8 ब्रहम्पुरी पंचायत समिति रोड दौसा हाल सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम कोष कार्यालय दौसा व श्री महेन्द्र प्रकाश महावर पुत्र श्री लक्ष्मण लाल महावर जाति महावर उम्र 27 साल निवासी जडाव फाटक प्रकाश नगर दौसा हाल जूनियर अकांउटेंट, कोष कार्यालय दौसा मन् उप अधीक्षक के समक्ष कार्यालय में उपस्थित आये। हस्वतलविदा स्वतंत्र गवाह श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा व श्री महेन्द्र प्रकाश महावर को कार्यालय में बैठाया गया। कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री हितेश जोशी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा व श्री महेन्द्र प्रकाश महावर का आपस में परिचय करवाया गया। दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री नरेन्द्र कुमार व श्री महेन्द्र प्रकाश को परिवादी श्री हितेश जोशी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढवाया जाकर उस पर की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही के बारे में बताया जाकर उक्त कार्यवाही में हर दोनों को स्वतंत्र गवाह रहने के बारे में सहमति प्राप्ति की गई तो हर दोनों ने उक्त ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति प्रदान की। इसके बाद परिवादी श्री हितेश जोशी व स्वतन्त्र गवाहान श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा व श्री महेन्द्र प्रकाश महावर की मौजूदगी में मन् उप अधीक्षक पुलिस ने रिश्वत मांग सत्यापन के समय परिवादी व संदिग्ध आरोपी श्री मुकेश कुमार एएसआई थाना महुआ जिला दौसा के मध्य दिनांक 29.11.2025 एवं दिनांक 02.12.2025 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन हुई वार्ता, जिसको परिवादी द्वारा उसको सुपुर्द किये गये सरकारी डीवीआर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था एंव जिनको बाद मांग सत्यापन श्री मुकेश चन्द कानि. 101 के वापस आने पर मुझे सुपुर्द करने पर चालू कर सुना जाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दिनांक 29.11.2025 एवं दिनांक 02.12.2025 के दोनों दिन के पृथक-पृथक मैमोरी कार्डों को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखा गया था। उक्त दोनों मैमोरी कार्डों को कार्यालय की आलमारी से निकालकर कार्यालय के डीवीआर में डालकर कम्प्यूटर की सहायता से चालूकर सुना गया एंव उसमें आई वार्ता की शब्द-ब-शब्द ट्रान्सक्रिप्ट श्री मुकेश चन्द कानि0 101 की मदद से तैयार की गई। रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं में परिवादी श्री हितेश जोशी ने अपनी स्वंय की व आरोपी श्री मुकेश कुमार एएसआई पुलिस थाना महुआ जिला दौसा की आवाज की पहचान की। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की सम्बन्धित वॉईस क्लिप से शब्द-ब-शब्द मिलान किया गया तथा वार्तालाप रूपान्तरण को

दोनों गवाहान एंव परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात वार्ता की कॉपी तैयार करने हेतु चार खाली पैन ड्राईव एचपी 16 जीबी लेकर उनको खाली होना सुनिश्चित कर दिनांक 29.11.2025 के मैमोरी कार्ड व दिनांक 02.12.2025 के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ताओं को कम्प्युटर की सहायता से बारी-बारी से चार पैन ड्राईव में कॉपी करके बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर चारो पैन ड्राईव एचपी 16 जीबी मे से तीन पैन ड्राइव पर मार्क- A-1, A-2, A-3 अंकित कर दोनों गवाहान एंव परिवादी श्री हितेश जोशी के हस्ताक्षर करवाकर दो पैन ड्राइव को पृथक-पृथक न्यायालय हेतु मार्क A-1, A-2 को पैन ड्राईव कवर में व एक पैन ड्राईव आरोपी हेतु मार्क A-3 को पैन ड्राइव कवर में सुरक्षित रखकर कवर सहित तीनों पैन ड्राइवों को अलग-अलग सफेद कपडें की थैली में रखकर कपडे की थैली पर भी मार्क A-1, A-2, A-3 अंकित कर, सील चिट चस्पाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया गया। पैन ड्राईव मार्क A-4 को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 29.11.2025 व 02.12.2025 के रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मूल मैमोरी कार्डो क्रमश सैनडिस्क अल्ट्रा 16 जीबी, सैनडिस्क 32 जीबी को पृथक-पृथक उन्हे के कवर में डालकर पृथक-पृथक कपडे की सफेद थैली में डालकर सील चिट चस्पाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क क्रमश M-1,M-2 अंकित कर कब्जे पुलिस लिया गया। रिकॉर्डशुदा वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देषानुसार कार्यालय के कम्प्यूटर पर श्री मुकेश चन्द कानि. 101 से तैयार करवाई गई। समय 04ः30 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् उप अधीक्षक पुलिस के द्वारा परिवादी श्री हितेश कुमार जोशी से आरोपी को दी जाने वाली 8000 रूपये की रिश्वत राशि पेश करने बाबत कहा तो परिवादी ने अपने पास से आरोपी श्री मुकेश कुमार एएसआई को दी जाने वाली रिश्वत राशि भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 16 नोट कुल 8000/-रू0 निकाल कर मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये गये जिसका विस्तृत विवरण फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत में अंकित किया गया। परिवादी द्वारा पेश शुदा नोटों पर श्रीमति मंजू हैड कानि0 53 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीषी निकलवाई जाकर कार्यालय की एक टेबिल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 8000 रूपये के नोटों को पृथक-पृथक रखकर उन पर श्रीमति मंजू हैड कानि. से अच्छी तरह से बारी-बारी से फिनोफ्थैलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री हितेश जोशी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा से लिवाई गई तो उसके पास मोबाईल के अलावा अन्य कोई आपत्ति जनक वस्तु व सामान नहीं मिला। उक्त फिनोफ्थैलीन पाउडर युक्त आरोपी श्री मुकेश कुमार एएसआई को दी जाने वाली रिश्वत राशि 8000/-रू. के नोट श्रीमति मंजू हैड कानि से परिवादी के पहने हुई पेंट की सामने की दायी तरफ की जेब में रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटो को जब तक नही छुयेगा तब तक कि आरोपी रिश्वत की मांग नही करे तथा मांगने पर ही वह पाउडर युक्त राशि उन्हे देवे। और ध्यान रखे की आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखते है। परिवादी को आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मिस कॉल देकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को रिश्वत देने का निर्धारित ईशारा करने बाबत बताया। इसके पश्चात दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का यथा सम्भव प्रयास करे। फिनोफ्थैलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसको जलवाकर नष्ट करवाया गया। उसके पश्चात एक नये साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मगंवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त गिलास के घोल में श्रीमति मंजू हैड कानि. के हाथों की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाउडर लगे नोटो को छुयेगा तो उनके हाथो में यह पाउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उनके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा। जिससे साबित होगा कि उसने रिश्वत राशि ली है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को कार्यालय से बाहर फिंकवाया गया एंव गिलास को नष्ट करवाया गया। तत्पष्चात पाउडर लगाने वाली श्रीमति मंजू हैड कानि के दोनो हाथो को साबुन एंव साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस एवं परिवादी, गवाहान एंव ट्रेप पार्टी के सदस्यां के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेप बाक्स में रखी खाली शिशीयां, ढक्कन, चम्मच डिस्पोजेबल गिलास आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। परिवादी को छोडकर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो सभी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं मिली, केवल विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल ही रहने दिये गये। परिवादी को कार्यालय का डीवीआर मय नया मैमोरी कार्ड सैनडिस्क 32 जीबी लगाकर आरोपी एंव उसके मध्य रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सुपुर्द किया। इसके बाद समय 05ः30 पीएम पर परिवादी श्री हितेश जोशी ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मेरे पास कुछ देर पहले घर से जरूरी काम के लिये फोन आया है इसलिये मै अब घर जाना चाहता हॅु अब आगे आज ट्रेप कार्यवाही नही करवा पाउंगा। मै दिनांक 05.12.2025 को श्री मुकेश एएसआई की महुआ थाने पर उपस्थित ज्ञात कर आपको जरिये दूरभाष सूचना कर दूंगा तो आप ट्रेप पार्टी लेकर महुआ आ जाना। मै आपको महुआ कस्बे से कुछ दुरी पहले ही मिल जाउंगा। इस पर श्री हितेश जोशी के पेंट की सामने की दाहिनी जेब में से रिश्वत राशि के 8000 रूपये श्रीमति मंजू हैड कानि. से निकलवाये जाकर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाये गये। परिवादी श्री हितेश जोशी को दिया गया डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के प्राप्त कर सुरक्षित आलमारी में रखा

गया। परिवादी श्री हितेश जोशी व स्वतंत्र गवाहान श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा व श्री महेन्द्र प्रकाश महावर को हिदायत मुनासिब कर कार्यालय से रूखसत किया गया। दिनांक 05.12.2025 समय 07ः30 एएम पर कार्यालय में हस्वतलविदा जिला कोषागार दौसा से दो स्वतंत्र गवाह श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा व श्री महेन्द्र प्रकाश महावर मन् उप अधीक्षक के समक्ष कार्यालय में उपस्थित आये। हस्वतलविदा स्वतंत्र गवाह श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा व श्री महेन्द्र प्रकाश महावर को कार्यालय में बैठाया गया । समय 10ः30 एएम पर परिवादी श्री हितेश जोशी ने जरिये दूरभाष मुझ उप अधीक्षक को बताया कि उसने खुफियातौर पर मालूमात किया तो उसे पता चला है कि श्री मुकेश कुमार एएसआई तीन-चार दिन छुट्टी पर अपने गांव गये है थाने पर नही है। ट्रेप कार्यवाही तीन-चार दिन बाद ही हो पायेगी। जिस पर मन उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री हितेश जोशी को हिदायत मुनासिब की। समय 11ः00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाह श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा व श्री महेन्द्र प्रकाश महावर को आज ट्रेप कार्यवाही नही होने पर हिदायत मुनासिब कर जाया तैनाती रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 31.12.2025 समय 11.00 एएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष कार्यालय में परिवादी श्री हितेश जोशी उपस्थित आया और प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि श्री मुकेश कुमार एएसआई पुलिस थाना महुआ जिला दौसा को मेरे उपर शक हो गया है इसलिये वह मुझसे बातचीत ही नही कर रहा है इसलिये आगे की ट्रेप कार्यवाही किया जाना संभव नही है इस पर परिवादी श्री हितेश जोशी द्वारा फर्द पेशकशी में पेश की गई रिश्वत राशि 8000/- रूपये पर से फिनोफ्थलीन पाउडर हटाकर परिवादी को सुपुर्द की जाकर प्रार्थना पत्र पर प्राप्ति रसीद ली गयी। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री मधुसूदन सिंह निवासी ग्राम पोस्ट पथैना तहसील व थाना भुसावर, जिला भरतपुर हाल सहायक उप निरीक्षक थाना महवा जिला दौसा द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने की एवज में भ्रष्ट आचरण रखते हुये परिवादी श्री हितेश कुमार जोशी पुत्र श्री शिवदयाल जोशी जाति ब्राहम्ण उम्र 45 साल निवासी वार्ड नं0 04 मण्डावर पुलिस थाना मण्डावर जिला दौसा से पुलिस थाना महुआ जिला दौसा में उसके विरुद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 444/2025 में गिरफ्तार करने की धमकी देना व एफआर लगाने के नाम पर 10,000/- रूपये की मांग करने पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में 8000/- रूपये रिश्वत की मांग कर सहमत होना लेकिन परिवादी पर शक होने की वजह से ट्रेप कार्यवाही नही हो पाई। श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री मधुसूदन सिंह निवासी ग्राम पोस्ट पथैना तहसील व थाना भुसावर, जिला भरतपुर हाल सहायक उप निरीक्षक थाना महवा जिला दौसा का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री मधुसूदन सिंह निवासी ग्राम पोस्ट पथैना तहसील व थाना भुसावर, जिला भरतपुर हाल सहायक उप निरीक्षक थाना महवा जिला दौसा के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय प्रेषित है। (रविन्द्र सिंह) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रविन्द्र सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री मधुसूदन सिंह निवासी ग्राम पोस्ट पथैना तहसील व थाना भुसावर, जिला भरतपुर हाल सहायक उप निरीक्षक थाना महवा जिला दौसा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेन्द्र पंचोली, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई. डब्लू. जयपुर मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 531 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 148-51 दिनांक 31.01.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-02 जयपुर 2- पुलिस अधीक्षक, दौसा 3- उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SURENDRA PANCHOLI **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 31/01/2026 16:21:40

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1977				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)